संख्या– /2025/ XXVII(9)/01/अधिप्राप्ति/2024/ई–77841

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–9 देहरादूनः दिनांक सितम्बर, 2025

विषयः– **उत्तराखण्ड राज्य में ई–प्रोक्योरमेन्ट व्यवस्था के अन्तर्गत समस्त विभागों हेतु रू 10 करोड़ तक के कार्यों की अधिप्राप्ति के लिए मानक निविदा प्रपत्र (SBD) से सम्बन्धित दिशा–निर्देश।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड राज्य के समस्त विभागों में लागू ई–प्रोक्योरमेन्ट व्यवस्था के अन्तर्गत निविदा प्रक्रिया में एकरूपता लाये जाने के दृष्टिगत शासनादेश संख्या–310161/2025/अधिप्राप्ति–01/2024/ई–77841, दिनांक 30, जून, 2025 के द्वारा सामग्री (Goods), निर्माण कार्य (Works) तथा परामर्शी सेवाओं (Consultancy Services) के सम्बन्ध में मानक निविदा प्रपत्र (Standard Bidding Documents) लागू किये गये हैं।

2– उपरोक्त शासनादेश द्वारा निर्गत किये गये निर्माण कार्यों के SBD में रू0 10.00 करोड़ तक के कार्यों की अधिप्राप्ति के लिए अधिप्राप्ति नियमावली के अनुरूप विशेष प्रावधान न होने के दृष्टिगत स्थानीय ठेकेदारों की मांग के आधार पर विभिन्न विभागों से प्राप्त सुझावों/अभिमत के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के आलोक में रू0 10.00 करोड़ तक के कार्यों की अधिप्राप्ति के लिए मानक निविदा प्रपत्र (SBD) के संबंध में निम्नलिखित व्यवस्था लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1. विगत 05 वर्षो के निर्माण कार्यो का औसत वार्षिक टर्नओवर निविदा की लागत का 50 प्रतिशत होगा।
2. निविदाकर्ता द्वारा विगत 05 वर्षो में कम से कम समान (similar) प्रकृति के न्यूनतम एक कार्य का अनुभव हो, जिसकी मात्रा निविदा की आंकलित लागत का न्यूनतम 33 प्रतिशत हो।
3. रू0 1.5 करोड़ तक की लागत के निर्माण कार्य, पूर्व की भांति Single Envelope System के माध्यम से सम्पादित किये जायेगें एवं उक्त निविदाओं के मूल्यांकन हेतु न्यूनतम आवश्यक Bid Capacity के मानक लागू होगें।
4. निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाली फर्म के Joint Venture Firm होने की दशा में, जमानत

धनराशि हेतु बैंक से Joint venture के नाम से FDR बनाया जाना संभव न होने की दशा में Joint Venture के Lead Partner को Joint Venture की ओर से जमानत धनराशि (EMD) हेतु अधिकृत किया जायेगा। उक्त कार्य हेतु किसी निविदादाता को सफल घोषित किये जाने से पूर्व अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी।

5. कार्य में प्रयुक्त मशीनरी एवं टूल्स की आयु, प्रथम बार क्रय किये जाने की तिथि से 05 वर्ष से 08 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। सम्बन्धित विभाग निविदा प्रक्रिया में अपने विभागीय कार्यो की विशिष्टता के अनुरूप मशीनरी एवं टूल्स की आयु का निर्धारण उक्त निर्धारित समयसीमा के अर्न्तगत कर सकते हैं।
6. SBD में प्रयुक्त शब्दावली Average Annual Financial Turnover को Average Annual Construction Turnover से प्रतिस्थापित किया जाता है।
7. निविदा में Technical Staff के पैन कार्ड तथा फोटोग्राफ लिया जाना अनिवार्य नहीं होगा।
8. रू0 10.00 करोड़ से कम मूल्य के कार्यो हेतु क्रेडिट लिमिट पूर्व की भांति यथावत् रहेगी।
9. Current liquidity का निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में SBD में पृथक से यथास्थान व्यवस्था/प्रावधान वित्त विभाग के स्तर से किया जायेगा।
10. विभागों में पूर्व से गठित निविदा संवीक्षा समिति (Scrutiny) में नामित सदस्यों की व्यवस्था पूर्ववत् रहेगी। इस संबंध में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 में यथासमय संशोधन कर लिया जायेगा।
11. उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0 (UJVNL), पावर ट्रान्समिशन कॉर्पोरेशन लि0 (PTCUL) एवं उत्तराखण्ड पॉवर कॉर्पोरेशन लि0 (UPCL) में नितान्त विशिष्ट कार्यो के दृष्टिगत शासनादेश दिनांक 30 जून, 2025 द्वारा निर्गत SBD के नियमों के आलोक में आवश्यकतानुसार विधिसम्मत् परिवर्तन बोर्ड के अनुमोदन से किया जा सकता है, किन्तु किसी भी दशा में यह संशोधन तत्समय प्रचलित उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के प्राविधानों को अतिक्रमित नहीं करेगा।

3– शासनादेश संख्या–310161/2025/अधिप्राप्ति–01/2024/ई–77841, दिनांक 30, जून, 2025 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय, शेष प्रावधान यथावत लागू रहेंगे।

भवदीय,

Digitally signed by Dilip Jawalkar
Date: 16-09-2025 19:58:02

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्याः (1)/2025/ XXVII(9)/01/अधिप्राप्ति/2024/ई0–77841 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
5. महानिदेशक, डॉ. आर.एस.टोलिया, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल।
6. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

8. परियोजना निदेशक, यूकेपीएफएमएस, देहरादून।
9. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त मानक निविदा प्रपत्रों को आई.एफ.एम.एस. पोर्टल पर अपलोड करने का कष्ट करें।
10. निदेशक, पं0 दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, आई.टी.डी.ए, आई.टी पार्क, देहरादून।
13. समस्त वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. समस्त कुल सचिव, राज्य विश्वविद्यायल, उत्तराखण्ड।
16. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार सिंह)
उप सचिव।